UPHR010030612024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस०सी०/एस०टी०(पी०ए०) एक्ट, हरदोई

परिवाद संख्या- 142/2024

नरवीर कुमार बनाम छोटेलाल आदि

थाना- बेहटा गोकुल, जिला हरदोई।

दिनांक 22-08-2026

1- पत्रावली प्रस्तुत हुयी। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित।

2- पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा परिवाद पत्र दिनांक 20-06-2024 को प्रस्तुत किया गया, जो सुनवाई के उपरांत दिनांक 20-06-2024 को परिवाद के रूप में पंजीकृत हुआ।

3- परिवादी का बयान अन्तर्गत धारा 223 बी०एन०एस०एस० दिनांक 13.08.2025 को लेखबद्ध हुआ। इसके पश्चात साक्षीगण के बयान अन्तर्गत धारा 225 बी०एन०एस०एस० हेतु तिथियां नियत हुयी, परन्तु न तो परिवादी उपस्थित आया और न ही साक्षीगण उपस्थित आये। आज बार-बार पुकार के बावजूद न तो परिवादी उपस्थित है, न ही उसके साक्षीगण और न ही उसकी ओर से कोई स्थगन आवेदन ही दिया गया है। परिवादी को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये, अनन्त अवसर नही दिये जा सकते। अतः परिवादी के साक्ष्य 225 बी०एन०एस०एस० का अवसर समाप्त किया जाता है।

4- पत्रावली पर उपलब्ध एक मात्र परिवादिनी के साक्ष्य के आधार पर प्रस्तावित अभियुक्तगण को तलब किये जाने का प्रथम दृष्टया आधार पर्याप्त नही है। अतः परिवादी की अनुपस्थिति एवं साक्ष्याभाव में परिवाद धारा 226 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा 226 बी०एन०एस०एस० निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार संग्रहित अभिलेखागार हो।

(ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.
(पी.ए.)एक्ट, हरदोई।
ID-UP1574

Digitally signed by GYANENDRA TRIPATHI
Date: 2026.08.22 12:35:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court